



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 740 राँची, गुरुवार,

21 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 अक्टूबर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-26/2019 का.-27935 (HRMS)--श्री बिपिन कुमार दुबे, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 319/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद पलामू के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक- 678 दिनांक- 05.11.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री दुबे के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप संख्या- 1:- अंचल कार्यालय, हुसैनाबाद में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान Jharkhand Public Land Encroachment Act की धारा 03 एवं 05 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुनवाई किये बिना अतिक्रमण वाद संख्या-07/2017-18 में आदेश पारित किया गया ।

आरोप संख्या- 2:- अतिक्रमण हटाने के लिए अधिनियम की धारा 6 (2) का पालन किये बिना अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया। अतिक्रमण हटाने के क्रम में कार्य में बाधा करने पर श्री हरिचरण मेहता के विरुद्ध पत्रांक-1023, दिनांक-13.12.2018 द्वारा हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा उन्हें थाना हाजत में रखा गया। श्री दुबे द्वारा उक्त प्राथमिकी को फिर वापस ले लिया गया ।

आरोप संख्या- 3:- दिनांक-14.12.2018 को स्थानीय विधायक से दूरभाष पर श्री बिपिन कुमार दुबे द्वारा असंयत भाषा का प्रयोग किया गया था तथा प्रशासनिक सुझ-बुझ का परिचय नहीं दिया गया, जो एक सरकारी कर्मचारी के आचरण/कर्तव्य के विरुद्ध है ।

आरोप संख्या- 4:- श्री बिपिन कुमार दुबे द्वारा किया गया उक्त कार्य पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प संख्या-24327(HRMS), दिनांक- 27.09.2023 के द्वारा श्री बिपिन कुमार दुबे, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-319/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच निष्कर्ष का प्रेषण उनके पत्रांक-17 दिनांक-11.01.2024 के द्वारा की गयी ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा श्री दुबे के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में से आरोप संख्या-1 एवं 2 को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या-3 को प्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या-4 के संबंध में जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे मनोयोग एवं तत्परता से किया गया है और परिस्थितिजनित समस्याओं का कानून व्यवस्था का ध्यान में रखकर शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इस पूरे प्रकरण में संयम एवं प्रशासनिक परिपक्वता का अभाव प्रतीत होता है ।

4. श्री दुबे के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, जिसमें आरोप संख्या-2 को अप्रमाणित किया गया है, से असहमति का कारण अंकित करते हुए तथा आरोप संख्या-3 (प्रमाणित) एवं आरोप संख्या-4 के संबंध में विभागीय जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन(पूरे प्रकरण में संयम एवं प्रशासनिक परिपक्वता का अभाव) से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-4419, दिनांक- 04.07.2024 एवं पत्रांक-5583, दिनांक- 29.08.2024 के द्वारा श्री दुबे के विरुद्ध प्रस्तावित 'झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड' अधिरोपित करने के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

5. श्री बिपिन कुमार दुबे, झा०प्र०से० के द्वारा पत्रांक- 60/गो०, दिनांक- 06.09.2024 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया है, जिसमें श्री दुबे के द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्य अंकित किया गया है:-

(क) श्री दुबे के द्वारा आरोप संख्या-2 के संबंध में अंकित किया गया है कि Cr. P. C. की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने का प्रावधान वर्णित है और उक्त धारा में कहीं भी वरीय पदाधिकारी की सहमति से ही प्राथमिकी वापस लेने का प्रावधान वर्णित नहीं है। सरकार और न्यायालय के द्वारा अनावश्यक क्रिमिनल केस को कम करने की सलाह दी जाती है। यदि क्रिमिनल केस वापस नहीं लिया जाता तो सरकार के उपर एक और क्रिमिनल केस की संख्या बढ़ जाती और अनावश्यक रूप से सरकार का धन बल और जन बल खर्च होता। इस प्रकार कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्राथमिकी का वापस लिया जाना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है और यह कई दृष्टिकोणों एवं व्यवहारिक रूप से सुझाबुझ पूर्ण कृत्य है।

(ख) आरोप संख्या-3 के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जाँच पदाधिकारी के सम्पूर्ण निर्णय का समग्र रूप में अवलोकन किया जाने का अनुरोध किया जाय। उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि असंयमित भाषा का प्रयोग पहले माननीय विधायक श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। जाँच पदाधिकारी के निर्णय में भी माननीय विधायक के द्वारा मेरे साथ अपमानजनक व्हाट्सअप करने का भी जिक्र है। भवदीय के द्वारा माननीय विधायक के द्वारा उन्हें किये गये व्हाट्सअप को नजरअंदाज किया गया, परन्तु किसी भी व्यक्ति के द्वारा बर्दास्त करने की एक सीमा है और उसके बाद की घटना परिस्थितिजन्य घटना है, जिसमें लिए वे दोषी नहीं हैं, बल्कि उस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति दोषी हैं।

(ग) आरोप संख्या-4 के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा पूरे मामले में पूरे मनोयोग एवं तत्परता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है। संयम एवं परिपक्वता का अभाव किसी कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि यह सामान्य मानवीय स्वभाव है और संयम और परिपक्वता कार्य अनुभव के साथ-साथ बढ़ती जाती है। कुर्मीपुर/पचमो की स्थानीय जनता के द्वारा दिए गए दो जन आवेदन में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराते हुए बाकी बचे हुए अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध किया गया है। मेरे पूर्व के अंचलाधिकारी ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, परन्तु मेरे द्वारा सही तरीके से कर्तव्य निर्वहन के लिए अलग-अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है।

6. श्री दुबे के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान में उल्लेखित तथ्यों के समरूप ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है। श्री दुबे के द्वितीय कारण पृच्छा के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरोप संख्या-3 अप्रमाणित करने के संबंध में कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उनके द्वारा अंकित है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग पहले माननीय विधायक के द्वारा की गयी है तथा उनके द्वारा बाद में ऐसा किया गया है। साथ ही आरोप संख्या-4 के संबंध में विभागीय जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन (पूरे प्रकरण में संयम एवं प्रशासनिक परिपक्वता का अभाव) का अप्रमाणित करने के लिए भी कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री बिपिन कुमार दुबे, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक- 319/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिपिन कुमार दुबे, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक- 319/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIPIN KUMAR DUBEY 110023186512	श्री बिपिन कुमार दुबे, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक- 319/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
